

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
14-11-22	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>बिनोद राम पिता स्व0 शीतल राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्ग, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-686, रकवा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि ललिता देवी पति अरुण कुमार, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्ग, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22014443 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-66/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 254/रा0 दिनांक 18.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 733 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत डमर दुसाध वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.40 एकड़ है। रकवा 3.14 एकड़ की जमाबंदी पंजी-11 में शेष है। कुल रकवा 4.21 एकड़ था। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-16/1 पर भोला दुसाध वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2003-04 तक निर्गत् है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 4.19 एकड़ बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में</p>	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3 ख

2

3

प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2021-22 तक निर्गत भू-लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रशंगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बिनोद राम पिता स्व० शीतल राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्डा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-लाखे, थाना नं०-155, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-686, रकवा-0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि ललिता देवी पति अरुण कुमार, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्डा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।